न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 05/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री छैलसिंह, भू अभिलेख निरीक्षक वृत गिराब, अतिरिक्त चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़, तहसील गडरारोड, जिला बाडमेर		**जिला कलेक्टर बाडमेर**

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर कमांकःप.14(2)(1)भू.अ./वि.जां./2020/5081 दिनांक 24.11.2020 द्वारा प्रार्थी की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 9 .11.2022

1. यह अपील श्री छैलसिंह, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत गिराब, अतिरिक्त चार्ज भू.अ.निरीक्षक गडरारोड, तहसील गडरारोड़ जिला बाडमेर ने जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश कमांकः प.14(2)(1)भू.अ./वि.जां./2020/5081 दिनांक 24.11.2020 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट भू–अभिलेख निरीक्षक गिराब, अतिरिक्त चार्ज गडरारोड़ के पद पर रहते ग्राम लाम्बडा के खसरा नम्बर 800 रकबा 816.13 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर भूमि में दिनांक 15.07.2020 को अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार गडरारोड को खसरा नम्बर 805 गै.मु. गोचर भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गये अतिक्रमणों के बारे में अवगत नही कराने व इसे नजर अंदाज करते हुए भेदभावपूर्ण तरीका अपनाने से, विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2020 के द्वारा अपीलाण्ट की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
3. जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकः प.14(2)(1)भू.अ./वि.जां./2020/

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

2943 दिनांक 19.08.2020 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोप का विवरण निम्नानुसार है :–

आरोप संख्या 1–

यह कि आप श्री छैलसिंह भू अभिलेख निरीक्षक, के दिनांक 24.10.2019 से भू–अभिलेख निरीक्षक गिराब अतिरिक्त चार्ज भू.अ.नि. गडरारोड के पद पर कार्यरत रहने के दौरान ग्राम लाम्बडा, पटवार मण्डल चेतरोडी, तहसील गडरारोड़ के खसरा नम्बर 800 रकबा 816.13 बीघा किस्म गै0मु0 गोचर भूमि में दिनांक 15.07.2020 को अतिक्रमियों को मौके पर बेदखल करने की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार गडरारोड को खसरा नम्बर 805 की गोचर भूमि पर अतिक्रमण के बारे में अवगत नही करवाया। जबकि इसी राजस्व ग्राम के खसरा नम्बर 805 गै0मु0 गोचर भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गये अतिक्रमण को नजरअंदाज करते हुए भेदभाव पूर्ण तरीका अपनाया गया, जो कि अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः आपका उक्त कृत्य लोकसेवक के कर्त्तव्यों के विरूद्ध है। जैसा कि विस्तृत आरोप विवरण पत्र में अंकित है।

4. अपीलाण्ट को उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र दिनांक 07.10.2020 को मार्फत तहसीलदार गडरारोड, बाद तामिल प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांकः प.14( )( )भू.अ./वि.जां./2020/4324 दिनांक 15.10.2020 के द्वारा तहसीलदार गडरारोड को आरोपी कार्मिक से जवाब प्राप्त कर तत्काल भिजवाने तथा अगर उनके द्वारा कोई जवाब नही दिया जा रहा तो सूचित कराने हेतु लिखा गया। आरोपी कार्मिक द्वारा बाद तामिल आरोप पत्र का लिखित अभिकथन पेश नही किया गया।

5. दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट को भू0अ0निरीक्षक वृत–गिराब के पद पर कार्यरत्त रहते भू0अ0नि0 गडरारोड का अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ था। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलांट की राजकीय सेवाएं संतोषप्रद रही है तथा उसके द्वारा राजकीय कर्त्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता से किया गया। अपीलांट को ज्ञापन व आरोप पत्र मार्फत तहसीलदार गडरारोड दिनांक 07.10.2020 को प्राप्त हुआ, जिसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही प्रकरण में जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपीलांट की ओर से लिखित अभिकथन पेश नही होना व पूर्ण रूप से दोषी होना मानते हुए दिनांक 24.11.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि उसके द्वारा संबंधित रेकर्ड का निरीक्षण करने हेतु जिला कलेक्टर बाडमेर को ई–मेल पर आवेदन प्रेषित किया गया था, जिसे रेकर्ड पर नही लिया गया, इस वजह से वह अपना जवाब प्रस्तुत नही कर पाया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित रिपोर्ट कमांक 7291 दिनांक 15.09.2020 में यह उल्लेख किया गया है कि "कोविड–19 लॉकडाउन समाप्त होने पर न्यायालय निर्णय की पालना के कम में दिनांक 02.06.2020 को हल्का पटवारी चेतरोडी द्वारा मौका निरीक्षण करने पर खसरा नम्बर 800 में अन्य नवीन अतिकमण पाये जाने पर तहसील कार्यालय में सूचित किया गया, उक्त खसरान् की भूमि में अतिकमियों द्वारा माह फरवरी, 2020 से जून, 2020 की अवधि में सरकारी भूमि पर कब्जा करने के उद्धेश्य से कच्चे झोपे आदि बनाकर अतिकमण किए गये थे। इससे पर्व सभी अतिकमी समीप में अपनी–अपनी खातेदारी भूमि के निवास कर रहे थे।" ख0नं0 800 में मुख्य सड़क से खेतों में जाने का रास्ता अतिकमियों ने अवरूद्ध कर दिया था, जिसकी शिकायत पर उक्त अतिकमण हटाये गये। नवीन अतिकमणों को सर्वप्रथम रोका गया। ख0न0 805 के मध्य आबादी भूमि के पास पुराने अतिकमण के 19 प्रकरणों में बाद जांच त्वरित कार्यवाही की गई। भू0अ0नि0 द्वारा सिर्फ पटवारी की रिपोर्ट के सही होने की जांच की जाती है, अतिकमण के संबंध में सम्पूर्ण जांच करना पटवारी का दायित्व है। गडरारोड के अतिरिक्त चार्ज के कारण मेरे पास कार्य की अधिकता थी। प्रकरण में अतिकमण हटाने को लेकर धरना, प्रदर्शन इत्यादि राजनैतिक कारणों से भेदभाव के आधार पर दण्डित किया गया है। अतः उक्त अनुशासनिक जांच कार्यवाही के दौरान अपीलाण्ट की सुनवाई के बिना एक पक्षीय पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

6. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार अनुपस्थित रहने के कारण हमने उक्त अपील प्रकरण में जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांकःप.14( )भू.अ./विजा/2022/1371 दिनांक 10.03.2022 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा आरोपी–अपीलाण्ट के विरूद्ध विरचित आरोप एवं आरोप विवरण पत्र सुस्पष्ट है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र तामिल दिनांक 07.10.2020 के उपरांत, प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2020 तक अर्थात लगभग डेढ माह से अधिक समय तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया और ना ही जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय चाहा गया, जबकि उक्त ज्ञापन में, प्राप्ति दिवस से 15 दिवस तक की अवधि में ही बचाव पक्ष की तैयारी व लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया हुआ है। अपीलांट का यह कथन कि उसके द्वारा संबंधित रेकर्ड का निरीक्षण करने हेतु जिला कलेक्टर बाडमेर को ई–मेल पर आवेदन प्रेषित किया गया था, जिसे रेकर्ड पर नही लिया गया, जिसकी कोई पुष्ठि प्रकट नही की गई।

डिविजनल कमिश्नर

इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पास अपने बचाव में कोई ठोस तथ्य उपलब्ध नही थे, यदि ऐसे कोई ठोस तथ्य उपलब्ध होते तो वे अपने जवाब में तथा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील की सुनवाई के दौरान अवश्य प्रकट करते। अतः विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल होने से, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नही है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलान्ट सारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2020 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

09/11/22

(कैलाश चन्द्र मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर